

31/2-26 पत्रायली पेश हुई। वकील जीरकेग जीरिचर।
 डाक्री अधिवक्ता के शानिक भाइरा की पालना
 हेइ भवरत भाइ गवा, जे उहे भापहर न अन्तिम
 भाइरा प्रका किना पाता है। पत्रायली वास्त शानिक
 भाइरा की पालना हेइ 19.1.26 को पेश हो।

जिला कलक्टर
 भीलवाड़ा

14/01/26 पत्रायली पेश हुई। जिला अभिभाषक
 संस्था, भीलवाड़ा द्वारा न्यायिक कार्य
 स्थगित रखा गया है। अतः पत्रायली
 आईन्दा कार्यवाही के लिये दिनांक
 25/2/26 को पेश हो।

जिला कलक्टर
 भीलवाड़ा

25-2-26 पत्रायली पेश हुई। डाक्री अधिवक्ता अन्तिम
 अधिवक्ता के अधिवक्ता भाइरा की पालना
 अधिवक्ता जीरिचर। पत्रायली के भवलोकन से डाक्री
 अधिवक्ता द्वारा वावजूद सबर दिहापह के शानिक भाइरा
 18-9-24 की पालना नही किना पाता पाया गया। डाक्री
 अधिवक्ता के मृतक शम्भू लाल भीरा के कापम मुकाम
 पेश कले हेइ वाट-वाट निपरा दिर पाठ के बाद
 नही भापालप भाइरा की पालना से भाज निपर पेशी
 पर मृतक डाक्री के कापम मुकाम प्राथम्य पत्र उल्लर
 नही किरे। डाक्री अधिवक्ता द्वारा मृतक डाक्री के कापम
 मुकाम पेश नही किरे पाठ से प्रकल लभिनर नल रहा
 है। लिखत प्रकल में इन ओट भवरत दिना पाता
 भापहर प्रीर नही होरा है। इस्तगर प्राकिन पत्र अन्तिम
 धरत 3 जी (5) राष्ट्रीय राफमारी अधिनियम, 1956 में जापिवाहि
 रसी स्तर पर समाप्त की जाकर प्रकल शरीर किना पाता है।
 पत्रायली केपल शमाट होकर गन्तर से कम होकर अधिवक्ता
 हफ्त रहे। सजम अधिकारी, उपखण अधिकारी भीलवाड़ा
 को तलनिहा रिमां (67/2014) मय भाइरा की उरि उरि की पावे।

जिला कलक्टर
 भीलवाड़ा